

दिनांक 23.12.19

रीडर

23¹²/₁₉ पत्रावली भेज डई/ वकील उमय पक्ष उप० नही है।
बार-बार आवाज डिलाई गई कोई हाफिर नही है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील काडी
हरा आज तक लामिल नही कराई है। अतः
काडी का दावा एलवी के अभाव में अदमलपरी
एवं अदम पैरवी में शवादीप किया जाता है।
पत्रावली फैंवल शूकर हकट बाड एक्मील दफ्तर
दाखिल की जाके।

उप जिला कलक्टर)
बामनवास (जिला-स०मा०)

